प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15.04.2021 जनपद देवरिया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत लाइसेंसी शस्त्र जमा न करने वालों के विरूद्ध पंजीकृत होगा मुकदमा।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव–2021 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद देवरिया के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों को जनपदीय पुलिस द्वारा जमा कराया जा रहा है, जिसमें लोगों द्वारा उक्त चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने शस्त्रों को संबन्धित थानों, शस्त्र दुकानों पर जमा किया गया है। किन्तु वर्तमान समय में कुछ लाइसेंस शस्त्र धारकों द्वारा शस्त्र नहीं जमा किया गया है, जिसके संबन्ध में मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आदेश पारित किया गया है कि जिस शस्त्र लाइसेंस धारक द्वारा अपने शस्त्र को जमा नहीं किया जाता है तो उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके परिप्रेक्ष्य में समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को पुलिस अधीक्षक देवरिया द्वारा निर्देशित किया गया है कि शस्त्र न जमा करने वालों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके शस्त्र निरस्तीकरण हेतु नियमानुसार कार्यवाही किया जाये।

मा0 राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पारित आदेश के क्रम में जनपद देवरिया के शस्त्र लाइसेंस धारकों से अपील की जाती है कि वह अपने शस्त्र को 24 घण्टें में जमा करें अन्यथा उनके विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करते हुए उनके शस्त्र निरस्तीकरण संबन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसके जिम्मेदार वह स्वयं होंगे।

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15–04–2021 जनपद देवरिया

दिनांक 14–04–2021 को पुलिस अधीक्षक देवरिया डा0 श्रीपति मिश्र द्वारा कच्ची शराब के निष्कर्षण एवं विक्रय पर अंकुश लगाने व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उनके विरूद्ध जनपद देवरिया मे अभियान चलाया गया जिसके क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही किया गया जिसके परिप्रेक्ष्य में–

01.आबकारी अधिनियम के अंतर्गतरू–

➡**थाना खुखुन्दू** पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त 01.तेज बहादुर पुत्र स्व0 राम नगीना सा0 व थाना खुखुन्दू, देवरिया गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 17 शीशी बन्टी बबली देशी शराब का बरामद कर चालान न्यायालय करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही किया गया।

02.थाना रूद्रपुर पुलिस द्वारा एक देशी तमन्चे व दो जिंदा कारतूस के साथ 01 अवैध शस्त्र तस्कर को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 14.04.2021 को प्रभारी निरीक्षक रूद्रपुर मय फोर्स देखभाल क्षेत्र, रोकथाम अपराध, तालाश वांछित अभियुक्त हेतु क्षेत्र में भ्रमणशील थे, कि मुखबिर से सूचना पर गोविन्दपुर मोड़ के पास से एक व्यक्ति को एक अदद देशी तमंचा मय दो अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त से नाम पता पूछने पर अपना नाम व पता 01.साहब दयाल यादव पुत्र बृजराज यादव सा0 गोविन्दपुर थाना रूद्रपुर, देवरिया बताया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा मय दो अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद करते हुये रूद्रपुर पुलिस द्वारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

03–निरोधात्मक कार्यवाही–

दिनांक 14.04.2021 को देवरिया पुलिस द्वारा चलाये गये अभियान में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निरोधात्मक कार्यवाही की गयी, जिनका विवरण निम्नवत है–

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 3/4 गुण्डा नियंत्रण अधि0 के अर्न्तगत 04 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

➡ जनपदीय पुलिस द्वारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत 22 व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

04–जनपदीय पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम में कार्यवाही–

दिनांक 14.04.2021 को जनपदीय पुलिस द्वारा शातिर अपराधियों संदिग्ध व्यक्तियों, संदिग्ध वाहनों के विरूद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में जनपद के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत है–

➡ वाहन चेकिंग के दौरान 51 वाहनों से 48,000 रूपये शमन शुल्क (ई–चालान) किया गया।